न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व प्रार्थना संख्या : 63/2025 महेन्द्रराम वगैरह बनाम कालूराम वगैरह अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-8-2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के दादा तिलाराम पुत्र गोलाराम की खातेदारी पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूणी मेंकृषि भूमि खसरा नम्बर 452/7 रकबा 0–6475 हैक्टर व खसरा नम्बर 452/8 रकबा 2–3876 हैक्टर स्थित है जो कि तिलाराम जी को अपने पिता गोलाराम जी से पुश्तैनी कृषि भूमि के रूप में प्राप्त हुई उसके पश्चात् तिलाराम जी के पुत्र कालूराम के नाम एवं कालूराम के मरणोपरान्त फोतेदगी नामान्तरकरण के जरिये दर्ज हुई। जिसमें कालूराम जी की पत्नी श्रीमती मीमादेवी भी वर्तमान खातेदार उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज है।। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के जायन्दा पुत्र व पुत्रियां है जिनको उक्त कृषि भूमि जो प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है, प्रार्थीगण का जन्म से ही हिस्सा निहित है। कृषि भूमि में प्रार्थीगण द्वारा अपना हक हिस्सा बाहमी रुप से बंटवाडा कर दिया है एवं अपने अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा कर काश्त करते आ रहे है लेकिन रेकर्ड में पृथक पृथक बंटवाड़ा अमल दरामद नहीं होने के कारण आपस में मनमुटाव व वाद विवाद होते रहते है जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि में अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी कर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में बेदखल नही करे, बेचान–हस्तांतकरण नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पेश किया गया। प्रार्थना पत्र कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर किया गया और प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 27.06.2025 को अन्तरिम स्थगन आदेश दिया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिली हेतु भेजे जाकर तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता नरेन्द्र सिंह ने अपना वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के पिताजी तिलाराम की पुश्तैनी कृषि भूमि है तथा वर्तमान में उक्त कृषि भूमि पर हम काबिज है तथा रैकडेड खातेदार भी दर्ज है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान् होने के नाते मेरे मरणोपरान्त उक्त कृषि भूमि के हकदार हो जायेंगे। मेरे जीवनकाल के अन्दर उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित नहीं है। वादग्रस्त जायदाद पर हम अप्रार्थीगण काबिज व रेकर्डेड खातेदार है। वादग्रस्त भूमियों पर	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

किसी प्रकार का अनुतोष प्रार्थीगण के हक में जारी करना न्यायोचित नहीं होने से अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का निवेदन किया गया है जिसे स्वीकार शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षों की सुनी गयी बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न विवादग्रस्त भूमि की जमाबंदी दिनांक 12.06.2025 से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ही वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है जो कि अप्रार्थीगण को अपने पिता तिलाराम से प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संतान है। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने सें प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के हक हिस्से का न होने से इनकार नहीं किया जा सकता है भले अप्रार्थीगण के जीवनकाल में प्रार्थीगण बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी नहीं है परंतु अपने पुर्वजों की पैतृक पुश्तैनी कृषि का उपयोग उपभोग का अधिकार रखते है जैसा कि प्रार्थीगण द्वारा बहस में वादग्रस्त भूमि में काबिज–काश्त होना एवं अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान किये जाने पर प्रार्थीगण को कब्जा–काश्त से बेदखल किया जा सकता है जो कि न्याय संगत नहीं है। उपरोक्त विवेचन एव विशलेषण के आधार पर अस्थाई निशेधाज्ञा के आवश्यक बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपुर्णय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तक धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के प्रार्थना में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 27.06.2025 को ताफैसला मूल वाद 77/2025 के निस्तारण तक पुखता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

पुखराज कांसोटिया आर ए एस
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी